समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री रमेश कुमार सक्सेना पे0 श्री दीनदयाल प्रसाद, ग्राम परमानन्दपुर, थाना- मुरलीगंज, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-484/ए./डी.एम.पी./2003 पर धारित शस्त्र सं0-आर.पी.-112978 निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि कार्यालय द्वारा निर्गत सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं करवा सका है। इन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करते हुए भौतिक सत्यापन कराये जाने की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी श्री रमेश कुमार सक्सेना (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किया है, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 154/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-484/ए./डी.एम.पी./2003 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र 39 वर्ष से अधिक अंकित किया है। इन्होंने अपने आवेदन पत्र के माध्यम से स्वयं स्वीकार किया है कि तीन वर्ष से अपना मकान हाउस नं0-38 ओम बिहार आई ब्लौक न्यू पालम बिहार एक्सटेन्सन गुड़गाँव (हरियाणा) में रहते हैं, जबकि इनके अनुज्ञप्ति पुस्त में अंकित पता सा0-परमानन्दपुर, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये अपने अनुज्ञप्ति में दर्शाये गए पता पर आवासन नहीं कर रहे हैं। इनके अनुज्ञप्ति की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2013 तक एवं भौतिक सत्यापन वर्ष 2011 तक के लिए अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा किया गया है। अनुज्ञप्ति अद्यतन समय तक नवीकृत एवं निरीक्षित नहीं है। साथ ही अनुज्ञप्ति शर्त्त के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को स्थाई रूप से रहने की सूचना संबंधित थाना एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकार को देना चाहिए था, जिसका पालन नहीं किया गया। आवेदक का आवेदन पूर्णतया आधारहीन है एवं अनुज्ञप्ति शर्त्तो को पूरा नहीं करता है। यह लापरवाही का द्योतक है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं0-484/ए./डी.एम.पी./2003 को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री रमेश कुमार सक्सेना पे0 श्री दीनदयाल प्रसाद, ग्राम परमानन्दपुर, थाना- मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर घारित शस्त्र मुरलीगंज थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री रमेश कुमार सक्सेना द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 110 /शस्त्र, दिनांक 21-03-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री रमेश कुमार सक्सेना पे0 श्री दीनदयाल प्रसाद, ग्राम परमानन्दपुर, थाना- मुरलीगंज, जिला मधेपुरा सम्प्रति मकान हाउस नं0-38, ओम बिहार आई ब्लॉक, न्यू पालम बिहार एक्सटेंसन गुड़गाँव (हरियाणा) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

21/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।